भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर सीमाओं की प्रासंगिकता

प्राप्तिः15.12.25
स्वीकृतः 22.12.25

100

हितेश रस्तोगी
(राजनीति विज्ञान विभाग)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
ईमेलः hiteshrastogi92@gmail.com

डॉ. कु0 मोहिनी
(समाजशास्त्र विभाग)
ईमेलः rastogi2013@gmail.com

सारांश

अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही विचारों का आदान–प्रदान मानवीय पक्ष का अधार रहा है। विचारों के आदान–प्रदान से ही व्यक्तिक विकास तो होता ही है साथ ही साथ सामाजिकता भी इसी से बनती है। अभिव्यक्ति का अधिकार आज मनुष्य के मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में वर्णित है। कोई भी राज्य और धर्म इस अधिकार को छीन नहीं सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शक्तियों का हस्तांतरण बेहतर ढंग से हो पाता है। यूँ तो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। लेकिन समाज की कुछ मर्यादाएँ भी निर्धारित की गई है। इसी कारण अनुच्छेद 19(2) में उन शर्तों का उल्लेख है, जिनके आधार पर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ताकि समाज में स्वस्थ एवं मैत्रीपूर्ण माहौल बना रहे। प्रस्तुत शोध प्रत्र के अन्तर्गत भारतीय संविधान द्वारा प्रदत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन सीमाओं तक तथा किन परिस्थितियों में नियंत्रण लगाया जा सकता है। उसका विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन किया गया है।

मुख्यशब्द

लोकतांत्रिक व्यवस्था, वाक् एवं अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, समप्रभूता, न्यायालय की अवमानना, भारतीय संविधान

प्रस्तावना

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार न सिर्फ लोकतांत्रिक जीवन पद्धति की ठोस नींव है, बल्कि उसका अपरिहार्य अंग भी है। इस तरह के अधिकार को लोकतंत्र की जीवंतता के लिए भी आवश्यक माना गया है, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का होना आवश्यक माना गया है। वस्तुतः वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा तो अत्यन्त व्यापक है। इसके अंतर्गत, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सभी अधिकार शामिल हैं।[1]

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.100

यही कारण है कि इस व्यापक स्वतंत्रता के दुरूपयोग की दुष्प्रवृत्तियां भी पनपीं, जिनसे अप्रिय एवं कटु स्थितियां भी पैदा हुई। स्पष्ट है कि हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण किया। जहाँ तक भारतीय संविधान का प्रष्न है, तो इसमें जिन स्वतंत्रताओं पर बल दिया गया है, उनमें से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक है। इसे हमारे मूल अधिकारों के रूप में स्थान मिला हुआ है। इसके दुरूपयोग की संभावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए मूल अधिकारों को अनेक परिसीमाओं एवं प्रतिबंधों से घेर कर भी रखा गया है। वस्तुतः मूल अधिकार न तो निर्बाध ही हैं और न ही किसी मायने में परम अधिकार ही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन करते हैं।[2] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो प्रदान किया गया है, किन्तु इसके दुरूपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह भी व्यवस्था बनाए रखी गई है कि कोई भी ऐसा अधिकार न तो आत्यांतिक रूप से प्रदान ही किया जा सकता है और न ही नितांत निरंकुश एवं उच्छृंखल ही हो सकता है।

इस संबंध में अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न सिर्फ अधिकार है बल्कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता भी रही है, जिसे भारत के धार्मिक ग्रंथों, साहित्य, उपन्यासों आदि में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति के स्वरूपों की बात की जाए तो इसमें किताब, चित्रकला, नृत्य, नाटक, फिल्म निर्माण तथा वर्तमान में सोशल मीडिया को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भारतीय परंपरा को किसी भी प्रकार से हानि पहुँचने से बचाने हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा इसे कानूनी वैधता प्रदान करते हुए मूल अधिकारों का हिस्सा बनाया गया तथा अनुच्छेद 19(1) (क) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं में प्रथम स्थान प्रदान किया गया।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन की शक्तियों का आज तक शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता आया है। जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया एवं इसे स्थायित्व प्रदान किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी अधिकारों की जननी मानी जाती है। यह सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर जनमत तैयार करती है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ[3] मामले में न्यायमूर्ति ने वाक् स्वतंत्रता पर बल प्रदान करते हुए कहा कि लोकतंत्र मुख्य रूप से बातचीत एवं बहस पर आधारित है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में सरकार की कार्यवाही के उपचार हेतु यही एक उचित व्यवस्था है। अगर लोकतंत्र का मतलब लोगों का, लोगों द्वारा शासन है तो स्पष्ट है कि हर नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है और अपनी इच्छा से चुनने के बौद्धिक अधिकार के लिये सार्वजनिक मुद्दों पर स्वतंत्र विचार, चर्चा और बहस ज़रूरी है। इससे न सिर्फ लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान की गई है बल्कि तार्किक चयन की स्वतंत्रता प्रदान कर बाज़ार–आधारित अर्थव्यवस्था के विकास, समाज में संवाद अंतराल और सामाजिक तनाव को कम किया है। संवाद के माध्यम से अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है तथा मानव की तार्किक क्षमता, साहस तथा नवाचारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण भारत का आधुनिकीकरण संभव हो पाया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने शासन–प्रशासन के विरुद्ध पनप रहे जनता के गुस्से से सरकार को अवगत करवाया है, जिससे अराजकता रुकती है एवं लोकतंत्र मज़बूत होता है।

हालाँकि किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता बिना निर्बंधन के अपने व्यापक रूप में नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब अपनी सीमा का उल्लंघन करती है तो सामाजिक अराजकता का कारण बनती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन का मूल आधार है, परंतु समाज को अराजकता से बचाने के उद्देश्य से इस पर सीमित मात्रा में तार्किक प्रतिबंध आरोपित किये गए हैं, जहाँ प्रक्रिया एवं विषय–वस्तु दोनों का तार्किक होना अनिवार्य है। संविधान द्वारा इस पर लोक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, अपराध को बढ़ावा देना, सदाचार, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना तथा मानहानि के आधार पर प्रतिबंधों को आरोपित किया गया है।

हाल ही में 'रिपब्लिक टीवी' के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मई 2018 में एक इंटीरियर डिज़ाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में मुंबई के रायगढ़ ज़िला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिसे 'लोकतंत्र को कुचलने' और 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने वाला कदम' बताया गया है। भारतीय इतिहास में आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया गया था, परंतु वर्तमान समय में कुछ लोगों द्वारा स्वयं के हित के लिये अपनी संस्कृति की रक्षा के नाम पर फिल्मों, उपन्यासों का विरोध करने से भी अभिव्यक्ति का अधिकार सीमित होता है। वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग लोगों द्वारा स्वयं को लाइम–लाइट में लाने एवं अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने हेतु करना भी आम हो गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भाषण की स्वतंत्रता की उत्पत्ति ग्रीस और रोम जैसी प्राचीन संस्कृतियों में देखी गई है, जिसने इस विचार की जड़ रखी कि व्यक्तिगत आवाज़ों को सुना जाना चाहिए और उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए। भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मुख्य रूप से अनुच्छेद 19(1) (क) अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन से प्रेरित है, जिसमें कहा गया है कि:–

'कांग्रेस किसी धर्म की स्थापना का सम्मान करने, या उसके मुक्त अभ्यास को प्रतिबंधित करने, या भाषण की स्वतंत्रता, या प्रेस की स्वतंत्रता, या लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने और शिकायतों के निवारण के लिए सरकार से याचिका दायर करने के अधिकार का हनन करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगी।'

दार्शनिक आधार

व्यापक अर्थ में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक सामाजिक आदर्श के रूप में देखा जाता है जिसकी गारंटी भारतीय संविधान द्वारा सभी को दी गयी है। कई दार्शनिकों के साथ–साथ कानूनी विद्वानों ने इस बात के लिए अलग–अलग व्याख्याएँ दी हैं कि भाषण की स्वतंत्रता मूल्यवान क्यों है।

गरिमा और स्वायत्तता

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मनुष्यों का एक अंतर्निहित अधिकार माना जाता है, जो उनकी गरिमा और स्वायत्तता में योगदान देता है। इस संदर्भ में, गरिमा स्वतंत्रता और समानता

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.100

की मान्यता को संदर्भित करती है, जबकि स्वायत्तता किसी व्यक्ति की बाहरी प्रभाव के बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को संदर्भित करती है। स्वायत्तता लोगों के विचारों को संदर्भित करती है जो उन पर जबरन नहीं थोपे जाते हैं, और इसे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास का एक मूलभूत घटक भी माना जाता है।

यह सच है कि मनुष्यों की कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं जैसे पानी, रोशनी, इत्यादि, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य ऐसे प्राणी हैं जो अपनी चेतना और भावनाओं को राय, ज्ञान, विश्वास और आस्था के माध्यम से प्रतिबिंबित करने में सक्षम हैं जिन्हें वे एक–दूसरे के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति के मूल्य की स्वीकृति कहा जाता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी मनुष्यों का एक अंतर्निहित अधिकार है।

लोकतंत्र का सिद्धांत

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र के एक आवश्यक घटक के रूप में देखा जाता है; हम अंततः समझ जाएँगे कि लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र में, सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए चुनी जाती है, जिसका अर्थ है कि नागरिकों को यह चुनने का अधिकार है कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मतदाता संभावित उम्मीदवार को चुनने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।[4] लोकतंत्र नागरिकों, सरकारों और सत्ता के संस्थानों के बीच दृश्यता सुनिश्चित करने का काम करता है। इससे नागरिकों की सत्ता और संस्थानों के बारे में जानकारी तक पहुँच में सुधार होगा। लोकतंत्र में भाग लेने के लिए नागरिकों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे–जैसे भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है, जनता डिजिटलीकरण से बहुत प्रभावित है। डिजिटलीकरण के फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसके कई फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ और बाधाएँ भी हैं जो मुक्त अभिव्यक्ति को खतरे में डाल सकती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जनमत की अवधारणा उभरी और फिर राजनेताओं ने अपने फैसले लिए। जनमत की पहुँच कम हो गई है और लोगों ने अपने विचार और राय डिजिटल रूप से व्यक्त करना शुरू कर दिया है। डिजिटलीकरण की कुछ मुख्य कमियाँ इस प्रकार हैं: –

1. घृणा फैलाने वाला भाषण

डिजिटलीकरण के बाद यह एक बड़ी चिंता का विषय है। जिस आसानी से लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, उससे घृणा फैलने की संभावना बढ़ गई है। इससे लोग आसानी से अपमानजनक या धमकी देने वाली सामग्री साझा कर सकते हैं, जिसका मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

2. गलत सूचना

जनता के लिए उपलब्ध जानकारी नागरिकों और सरकारों के बीच या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक संघर्ष पैदा करने के दुर्भावनापूर्ण लक्ष्य के साथ गलत तरीके से प्रदान की जाती है। साइबर सुरक्षा खतरों के परिणामस्वरूप ऐसी स्थितियों से बचने और संवेदनशील जानकारी प्रदान करने से बचने के लिए व्यक्तियों या संगठनों पर साइबर हमले हो सकते हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का आधार भी हो सकता है।

3. कानूनी और अधिकार क्षेत्र संबंधी चुनौतियाँ

इंटरनेट की विश्वव्यापी प्रकृति के कारण, कानूनी और अधिकार क्षेत्र संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में कुछ कठिनाइयों का समाधान किया गया है। प्रत्येक देश के कानून अद्वितीय हैं; इसलिए, एक देश के कानून किसी ऐसे कार्य को प्रतिबंधित करते हैं जिसे दूसरे देश में मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। परिणामस्वरूप, यह संभव है कि एक अधिकार क्षेत्र में प्रतिबंधित सामग्री दूसरे में सुलभ होगी। और कुछ मामलों में, जब एक देश दूसरे देश से कुछ जानकारी या आँकड़े मिटाने की मांग करता है, तो दूसरे देश के पास विवेकाधीन क्षमता होती है।

इसके अलावा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुसंख्यकों द्वारा विभिन्न अल्पसंख्यकों और लोगों पर लगाया गया प्रतिबंध प्रतीत होता है। बहुसंख्यक अपने आदर्शों और समुदायों के लिए खतरों को समायोजित करते हैं। यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यह वही है जो आवश्यक है। क्योंकि यह एक स्वतंत्र समाज है। यह कायाकल्प और विस्तार को भी बढ़ावा देता है।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्देश्य रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य[5] के मामले में उल्लेख किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल लोगों को अपनी भावनाओं, विचारों और राय को दूसरों के सामने व्यक्त करने की अनुमति देती है, बल्कि यह अतिरिक्त रूप से एक अधिक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करती है।

इन उद्देश्यों को चार रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. यह व्यक्ति को आत्म–पूर्ति प्राप्त करने में मदद करता है।
2. यह सत्य की खोज में सहायता करता है।
3. यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की व्यक्ति की क्षमता को मजबूत करता है।
4. यह एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जिसके द्वारा स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन के बीच उचित संतुलन स्थापित करना संभव होगा।

भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों के मूल में है, क्योंकि सार्वजनिक शिक्षा मुक्त राजनीतिक चर्चा के बिना मौजूद नहीं हो सकती है, जो लोकप्रिय सरकार के कुशल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।

भाषण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के आधार

स्वतंत्रता निरपेक्ष या पूरी तरह से सीमित नहीं हो सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार, केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार को लाभकारी तरीके से मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति का अभ्यास करने के लिए उचित प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाने का अधिकार है। सभी को मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जाएगा, हटाया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। राज्य इन अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करेगा और यह भी बताएगा कि ऐसा करना आवश्यक है या नहीं। यह एक मौलिक सिद्धांत है, जो लंबे समय से स्थापित है, कि संविधान द्वारा सुरक्षित अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी के बिना बोलने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार नहीं देती है, जो भी कोई चुन सकता है, या एक अप्रतिबंधित और बे–लगाम

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.100

लाइसेंस जो भाषा के हर संभव उपयोग के लिए प्रतिरक्षा देता है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वालों को दंडित करने से रोकता है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 का उद्भव अनुच्छेद 19(1)(क) शुरू में अप्रतिबंधित था जब 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान के प्रख्यापन के समय, अनुच्छेद 19(2) में कहा गया थाः–

"(2) खंड (1) के उप–खंड (क) में कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक यह बदनामी, मानहानि, अदालत की अवमानना या किसी भी मामले से संबंधित है, जो शालीनता या नैतिकता के खिलाफ है या जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है, या उसे उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है।"

अनुच्छेद 19(2) मूल संविधान का हिस्सा था। 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम के बाद अनुच्छेद 19(2) में उचित प्रतिबंध वाक्यांश पेश किया गया था। इसे पूर्वव्यापी प्रभावों के साथ भी पूरक किया गया था, जो इस प्रकार हैः

"(2) खंड (1) के उप–खंड (क) में कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा, जहां तक ऐसा कानून राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उक्त उप–खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है।"

1951 के पहले संशोधन अधिनियम ने दो अलग–अलग उद्देश्यों को पूरा किया, जिन्हें अलग रखा जाना चाहिए। सबसे पहले, इस संशोधन अधिनियम ने दो अलग और नए शब्दों सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध के लिए उकसाना को जोड़कर अनुच्छेद 19(2) के दायरे का विस्तार किया। रोमेश थापर मामला इस संशोधन के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उस मामले में मद्रास सरकार के आदेश को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए पाया गया था मूल संविधान में अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुक्त भाषण को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य की सुरक्षा के लिए खतरे के बड़े बोझ को पूरा करने के लिए यह अधिकार आवश्यक है।

उच्चतम न्यायालय यह निर्धारित करता है कि प्रतिबंध तार्किक तभी माने जाएगें जब व्यक्ति के अधिकार और समाज के अधिकार के मध्य संतुलन स्थापित हो।[6]

मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस के दौरान यह स्पष्ट किया कि प्रेस और एक व्यक्ति या नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के मामले में समान हैं, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को किसी विशेष मान्यता की आवश्यकता नहीं है। पापनासम लेबर यूनियन बनाम मदुरा कोट्स लिमिटेड[7] ने अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के तहत प्राधिकरणों की तर्कसंगतता निर्धारित की है।

1. तर्कसंगत होने के लिए प्रतिबंध अत्यधिक नहीं होने चाहिए। यह मनमाना नहीं होना चाहिए।
2. प्रतिबंध का स्वयं और प्राप्त की जाने वाली वस्तु के बीच सीधा या निकट या उचित संबंध या कड़ी होनी चाहिए।

3. तर्कसंगत होने का प्रतिबंध अमूर्त नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई निश्चित सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता है और तर्कसंगतता के मानक मामले दर मामले और समय–समय पर अलग–अलग होंगे।
4. तर्कसंगत शब्द की व्याख्या करते समय न्यायालय को समाज के जटिल मुद्दों और विचाराधीन कानून के विधानमंडल की मंशा को ध्यान में रखना चाहिए।

(अ) तर्कसंगत शब्द की प्रकृति गतिशील है और इसलिए न्यायपालिका को इस शब्द की व्याख्या करते समय एक लचीला और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

(ब) मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाने से पहले न्यायालय के लिए सामाजिक नियंत्रण का विश्लेषण करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध न होने से आम जनता का हित प्रभावित हो सकता है और इसके निम्नलिखित कारण हैं:

1. भारत की संप्रभुता और अखंडता
2. राष्ट्रीय सुरक्षा
3. शालीनता और नैतिकता
4. न्यायालय की अवमानना
5. मानहानि
6. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
7. अपराध के लिए उकसाना
8. हिंसा और घृणास्पद भाषण के लिए उकसाना

भारत की संप्रभुता और अखंडता

इस आधार को 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा जोड़ा गया था ताकि लोगों की तनावपूर्ण प्रतिक्रिया को रोका जा सके, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से एक अलग इकाई की मांग कर रहे थे। किसी भी रूप में दिया गया कोई भी भाषण या कोई भी अभिव्यक्ति जो राज्य की संप्रभुता या अखंडता को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, इस प्रतिबंध के दायरे में आएगी।[8] भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का उपयोग राज्य की संप्रभुता या अखंडता को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना ज़रूरी है कि 'राजद्रोह' भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में शामिल उचित प्रतिबंधों का आधार नहीं है।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ[9] में सूचना प्रौद्योगिकी की धाराएँ 66क तथा 69क को संविधान के अनु0 19(1)(क) तथा 14 का उल्लंघन करने के लिए आक्षेपित किया गया। धारा 66क में संचार सेवा के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजना दण्डनीय है। डॉ0 राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य[10] में संदर्भित सरकार का तर्क था कि धारा 66क लोक व्यवस्था मानहानि अपराध करने के लिए उत्तेजित करना, शालीनता या नैतिकता के अधीन समर्पित किया जा सकता है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि मात्र क्षोभ से लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है धारा 66(क) के अधीन अपराध या तो बार–बार संदेश भेजने या लोक व्यवस्था को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना अन्यथा पूरा हो जाता है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.100

राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नागरिकों के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाये जा सकते है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य[11] के मामले में प्रश्न यह था कि क्या ऐसे कार्य जिनमें लोक व्यवस्था भंग होती है। देश की सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकते है। प्रत्येक लोक व्यवस्था राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाली नहीं होती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा प्रत्येक राष्ट्र के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ सरकार यह सुनिश्चित करती है कि राज्य और उसके नागरिक सुरक्षित हैं और राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य शक्ति के माध्यम से उन्हें आश्वस्त करती है। राष्ट्र की सुरक्षा के हित में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है यदि सरकार का मानना है कि इस तरह के भाषण और अभिव्यक्ति सेः

1. सरकार के खिलाफ युद्ध हो सकता है,
2. बाहरी आक्रमण, आदि।

शालीनता और नैतिकता

शालीनता और नैतिकता राजय द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने का आधार है। हर किसी का भाषण और अभिव्यक्ति शालीन और नैतिक होनी चाहिए। यह सह–अस्तित्व अवाले समाज की नेतिकता के विरूद्ध नहीं होना चाहिए। शालीनता और नैतिकता के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इस आधार का विस्तार भारतीय दंड संहिता की धारा 292 से 294 में परिलक्षित होता है। इन धाराओं में कुछ कृत्यों को अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जैसे कि युवा व्यक्तियों को अश्लीन पुस्तकें या चीजें बेचना, सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र इशारे करना आदि। रंजीत डी0 उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य[12] में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय दंड संहिता की धारीा 292 संवैधानिक रूप से वैध है क्योंकि यह अश्लीलता को प्रतिबंधित करती है और सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता को बढ़ावा देती है। शालीनता और नैतिकता के मामले में अपीलार्थी को धारा 292 के अन्तर्गत 'लैडी चेटर्लीज लवर' नामक किताब जिसमें आधुनिक युग में लैंगिक समागम में निराशा का वर्णन किया गया है को बेचने के अपराध में दण्डित किया गया था। उच्चतम न्यायालय में इस किताब के कुछ अंशों को हिकलिन की कसौटी के आधार पर अश्लील घोषित कर दिया और अपीलार्थी की सजा को बहाल रखा।[13]

न्यायालय की अवमानना

चूँकि न्यायालय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए संस्था की प्रतिष्ठा और उसमें जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध आवश्यक हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि न्यायालयों को धमकाया या तोड़फोड़ न की जाए। निःसंदेह, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समुदाय के लिए बहुत महत्व रखती है; फिर भी, कानून के शासन की रक्षा और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नतीजतन, मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार कानून की अदालत के फैसले से अप्रभावित है। भारतीय संविधान सर्वोच्च

न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्रमशः अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के तहत न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। इसी तरह, सी.के. दप्तरी बनाम ओ.पी. गुप्ता और अन्य[14] में, यह माना गया कि संविधान का अनुच्छेद 129 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228 वैध हैं और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्दिष्ट न्यायोचित सीमाओं के दायरे में आते हैं।

मानहानि

किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता है ताकि वह अपने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर सके। मानहानि किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना है, और यह किसी व्यक्ति की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है। मानहानि एक अपकृत्य के साथ–साथ एक आपराधिक अपराध भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार यह एक आपराधिक अपराध है। कानून का लक्ष्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, संपत्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा करना है।[15] शिकायतकर्ता को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि अभियुक्त का इरादा था, वह जानता था, या उसे उचित संदेह था कि उसके आरोप से शिकायत को नुकसान पहुँचेगा। किसी भी प्रतिबंध की तर्कसंगतता और आनुपातिकता का मूल्यांकन सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से किया जाता है, न कि सजा के लिए लक्षित व्यक्ति के हितों से।

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ[16], विधि मंत्रालय और अन्य के मामले में। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 और 500, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विरोध में मानहानि को अपराध बनाती है, को सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक रूप से स्वीकार्य माना। न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय देते समय ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णयों को ध्यान में रखा है। इस प्रश्न के संबंध में कि क्या अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मानहानि की परिभाषा को बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया है, न्यायालय ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के भाषण का हवाला दिया और कहा कि मसौदा तैयार करने वाले का इरादा अनुच्छेद 19(2) के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध शामिल करना था, भले ही मानहानि शब्द को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। सार्वजनिक व्यवस्था, आदि, और न्यायालयों को प्रतिबंध की बारीकियों को निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने प्रिंटर्स मैसूर केस में कहा कि भारत में प्रेस को भी मानहानि के नियमों से छूट नहीं है।[17]

विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध

असमान शक्ति गतिशीलता की तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में पड़ोसियों और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए, किसी व्यक्ति की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि यह इन रिश्तों के लिए खतरा पैदा करता है या राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुँचाता है।[18] कुछ व्यक्तियों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करने और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को खतरे में डालने से रोकने के लिए यह आवश्यक है। 1951 के प्रथम संविधान संशोधन ने इस विचार को संविधान के अनुच्छेद 19(2) में शामिल किया। यह निषेध किसी भी विदेशी राष्ट्र के खिलाफ घृणित और नापाक प्रचार को रोकने के लिए लगाया गया था जो भारतीय राज्य

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.100

के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है। इस तरह की कार्यवाहियाँ विदेशी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने के भारतीय सरकार के प्रयासों को खतरे में डाल सकती हैं।

अपराध के लिए उकसाना

पूर्ववर्ती विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ–साथ सामाजिक हितों से भी संबंधित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध सहित कई कारक शामिल हैं। जबकि यह समाज के हितों की पूर्ति करता है, इसके लिए आधारों में नैतिकता और शालीनता, न्यायालय की अवज्ञा, मानहानि और आपराधिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना शामिल है। आपराधिक न्यायशास्त्र में उकसाना अपने आप में एक अलग अपराध माना जाता है। किसी भी अपराध के लिए उकसाने के माध्यम से मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के प्रयोग से सार्वजनिक व्यवस्था को ख़तरा हो सकता है।[19]

हिंसा और घृणास्पद भाषण के लिए उकसाना

लोगों को अपनी बात खुलकर कहने की अनुमति दी जाए, तो इस बात की संभावना है कि वे हिंसा भड़काने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के बीच दुश्मनी भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य रणनीतियों में से एक नफरत फैलाने वाली बातें हैं, जो सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती हैं।[20] भारतीय विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में घृणास्पद भाषण को लोगों के एक समूह के प्रति या उनके खिलाफ उनकी जाति, लिंग, रंग, पंथ या किसी अन्य कारक के आधार पर घृणा भड़काने के रूप में परिभाषित किया गया है। घृणास्पद भाषण के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा या घृणा को रोकने के लिए, भारत में भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, सिनेमैटोग्राफी अधिनियम, 1952, अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत घृणास्पद भाषण प्रतिबंधित है। संस्कार मराठे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में, न्यायालय ने माना कि केवल वे अभिव्यक्तियाँ जो सरकार यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ घृणा को भड़काती हैं या वे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124 ए के तहत सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बन सकती हैं, वे दंडनीय हैं।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान का एक मूलभूत घटक होने के अलावा, लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। लोकतंत्र, संक्षेप में, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार है। सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, लोगों के सामान्य हित आदि की रक्षा के लिए, उचित प्रतिबंध लागू होने चाहिए। संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951, धारा 3 ने पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिस्थापन किया। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाओं को देखते हुए, हमारे समाज को अपने सभी सदस्यों के लिए सद्भाव और सम्मान बनाए रखना चाहिए। लोगों को

अपने विचारों, भावनाओं और राय को दूसरों के सामने व्यक्त करने में सक्षम बनाने के अलावा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्य उपयोग भी हैं।

संदर्भ

1. पाण्डे जे0एन0, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 53वां संस्करण, 2020 पृ० सं०–206
2. मिश्रा राजेश, राजनीति विज्ञान (एक समग्र अध्ययन), ओरियंट ब्लैक्स्वान प्राइवेट लिमिटेट, छठा संस्करण, 2018, पृ० सं०–228–231
3. एआईआर, 1978, एससी 597
4. बसु डी0डी0, भारत का संविधान : एक परिचय, प्रेंटिस हाल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 9वां संस्करण, 2012, पृ० सं०–102
5. एआईआर, 1950 एससी 124
6. मिश्रा राजेश, वही, पृ० सं०–228
7. एआईआर, 1995, एससीसी (1) 501
8. पाण्डे जे0एन0, वही, पृ० सं०–237
9. एआईआर 2015, एससी, 1523
10. एआईआर 1966, एससीआर, 709
11. एआईआर 1950, एससी, 124
12. एआईआर 1965, एससी, 881
13. शुक्ला वी0एन0, दी कान्स्टिटयूशन ऑफ इंडिया, 5वॉ संस्करण, 1969, पृ० सं०–69
14. एआईआर 1971, एससीआर, 1132
15. पाण्डे जे0एन0, वही, पृ० सं०–236
16. एआईआर 2016, एससी 2728
17. मिश्रा राजेश, वही, पृ० सं०–228
18. जैन, एम0पी0, इंडियन कॉन्सिटिट्यूशनल लॉ, लैक्सिस नैक्सिस, दिल्ली, आठवां संस्करण, 2018, पृ० सं०–1087
19. जैन, एम0पी0, वही, पृ० सं०–1087
20. पाण्डे जे0एन0, वही, पृ० सं०–236